<u>न्यायालयःश्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—705 / 2013</u> संस्थित दिनांक—07.08.2013 फार्डलिंग क 234503002842013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बिरसा,	
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	<u>अभियोजन</u>
/ <u>विक्तद्</u> द / /	
अन्तराम मरकाम पिता पतिराम मरकाम, जाति गोंड, उम्र–23 वर्ष,	
निवासी—ग्राम छपला, थाना बिरसा,	
जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — —	- <u>आरोपी</u>
<u> </u>	

<u>(आज दिनांक-12/07/2016 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा—25 (1—बी) बी सहपिटत धारा—4 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—06.08.2013 को शाम लगभग 5:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मण्डई से चरचेण्डी जाने वाली पक्की सड़क पर स्थित पुलिया के पास जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना कमांक—6312—6552—II—बी(I) दिनांकित—22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार का 6 इंच से अधिक लंबे फल का धारदार चाकू बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बिरसा में पदस्थ प्रधान आरक्षक सुरेश नागेश्वर को दिनांक—06.08.2013 को दूरभाष पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मानेगांव—चरचेण्डी रोड़ पुलिया पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठा है और आने—जाने वाले लोगों को ताक रहा है। उपरोक्त सूचना के आधार पर हमराह स्टाफ के साथ वह मौके पर गवाह अंजू पटले तथा पंचूदास के साथ पहुंचा तो मौके से एक लडका पुलिस को देखकर भागने लगा। उसे घेरकर पकड़ने पर उसने अपना नाम अंतराम पिता पितराम बताया और उसने अपने पास चाकू होना बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के पास एक लोहे का छुरा उसके आधिपत्य में था, जिसके संबंध में वैध अनुज्ञप्ति होने के बारे में पूछे जाने पर उसने वैध अनुज्ञप्ति नहीं होना बताया। आरोपी से चाकू जप्त किया गया और मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—104/2013, आयुध अधिनियम की धारा—25 बी कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेख किये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा—25 (1—बी) बी सहपित धारा—4 का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक—06.08.2013 को शाम लगभग 5:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मण्डई से चरचेण्डी जाने वाली पक्की सड़क पर स्थित पुलिया के पास जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना कमांक—6312—6552—II—बी(I) दिनांकित—22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल का धारदार चाकू बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा ?

💢 विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष : :

5— अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश नागेश्वर (अ.सा.३) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—06.08.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह हमराह स्टॉफ के साथ ग्राम गश्त में गया था, तभी उसे मोबाईल से सूचना प्राप्त हुई कि 20—22 वर्ष का एक लड़का संदिग्ध अवस्था में ग्राम मंडई चरचेण्डी रोड पर स्थित पुलिया पर काफी देर से बैठा है और आने—जाने वाले लोगों को ताक रहा है। उक्त सूचना पर हमराह स्टॉफ अंजू पटले एवं पंचूदास को लेकर उक्त स्थल पर गया, तो वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। उसे घेराबंदी कर पकड़ने पर उसने अपना नाम अंतराम पिता पितराम बताया था। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह आने—जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर पैसे छुड़ाने की नियत से बैठा था। आरोपी की साक्षियों के समक्ष तलाशी ली गई, जिसकी कमर के दांए तरफ एक लोहे का नुकिला धारदार चाकू मिला था, जो आर्टिकल ए—1 है। आरोपी के पास चाकू रखने के संबंध में कोई लायसेंस नहीं था। आर्टिकल ए—1 का चाकू साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— जप्त चाकू की लम्बाई 21.1 से.मी., मुढ की लम्बाई 10.00 से.मी. कुल लम्बाई 31.1 से.मी., मध्य में फल की चौड़ाई 4.5 से.मी. थी। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—4 साक्षियों के समक्ष बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक—06.08.2013 को रवानगी वापसी सान्हा क्रमांक—224, 244 लेख कर

चालान के साथ संलग्न किया था, जो प्रदर्श पी—5 एवं 6 है, जिन पर आरक्षक मुकेश डोंगरे कमांक—1183 के हस्ताक्षर हैं, वह आरक्षक मुकेश डोंगरे के हस्ताक्षर पहचानता है। उसके द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—104/2013, धारा—25 बी आर्म्स एक्ट के तहत लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी—7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि प्रदर्श पी—1 के जप्तीपत्र पर उसने साक्षियों के नाम पते लेख नहीं किये हैं। उसने यह आधार प्रकट किया है कि भूलवश उससे नाम पता लिखना छूट गया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्तीपत्र में कपड़े का उल्लेख है, परंतु वह कपड़ा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी कहा है कि कपड़े की जप्ती का उल्लेख त्रुटिवश किया गया है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को इंकार किया है कि आरोपी को झूटा फंसाने के लिए झूटी कार्यवाही की थी।

- 7— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी दादूराम पटले (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक—06.08.13 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक—104/13, अंतर्गत धारा—25 बी आर्म्स एक्ट की डायरी प्राप्त होने पर साक्षी अंजू उर्फ रमेश, पंचूदास एवं आरक्षक कुंवरसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। शेष विवचेना सुरेश नागेश्वर प्रधान आरक्षक के द्वारा की गई है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेख किये हैं।
- 8— अंजूराज पटले (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष जप्ती नहीं की, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 के अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—2 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान लेख नहीं किये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि दिनांक—06.08.2013 को उसके सामने मोबाईल से विवेचक को सूचना प्राप्त हुई थी और घटनास्थल पर आरोपी अंतराम के आधिपत्य से चाकू जप्त किया गया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—2 पर हस्ताक्षर थाने में किये थे, तब दस्तावेज कोरे थे।
- 9— आरोपी के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा—25 (1—बी) बी सहपिटत धारा—4 का अभियोग है। यह अपराध निषेधित प्रकृति का हथियार बिना अनुज्ञप्ति के अपने पास रखने से होता है। अभियोजन को युक्तियुक्त संदेह से परे आरोपी द्वारा निषेधित प्रकृति का हथियार अपने पास रखा होना प्रमाणित करना होता है, जिसके लिए जप्ती की कार्यवाही

बिना किसी संदेह के न्यायालय के समक्ष प्रमाणित होना चाहिए। अभियोजन साक्षी सुरेश नागेश्वर (अ.सा.३) जो प्रकरण में विवेचक है ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने जप्तीपत्रक में स्वतंत्र गवाहों के नाम पते लेख नहीं किये हैं, त्रुटिवश गवाहों के नाम लिखना रह गया था। स्वतंत्र गवाहों का उल्लेख जप्तीपत्र में नहीं होने से जप्ती की कार्यवाही को दूषित होना मानी जावेगी। जप्तशुदा चाकू आर्टिकल ए को मोंके पर सील किया गया हो और उस पर नमूना सील भी अंकित की गई हो, यह बात भी विवेचक ने अपने न्यायालयीन कथन में स्पष्ट नहीं की है। जप्तीपत्र में कपड़े की जप्ती का भी उल्लेख है, परंतु न्यायालय के समक्ष जप्त कपड़ा पेश नहीं किया है और विवेचक का कहना है कि त्रुटिवश कपड़े का उल्लेख किया गया था। स्वतंत्र साक्षी अंजूराज पटले ने विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही को अस्वीकार कर यह कहा है कि उसके समक्ष न तो आरोपी के आधिपत्य से कोई चाकू जप्त किया गया और ना ही आरोपी को उसके समक्ष गिरफ्तार किया गया था। ऐसी स्थिति में यह घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाई जाती। आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाकर आयुध अधिनियम की धारा—25 (1—बी) बी सहपठित धारा—4 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त मुक्त किया जाता है।

- 10— प्रकरण में आरोपी दिनांक—07.08.2013 से दिनांक—13.08.2013 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 11— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा—437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्ट की जावें अथवा अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

बैहर, दिनांक—12.07.2016 मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही / –

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट